


24.7.24

पत्रावली पेश हुई। वकिल प्रिवादी उपस्थित।  
वकिल वादी अनुपस्थित। वकिल वादी व  
वादीगण के नाम बार-बार आवाज  
लगाई गई, लेकिन फिर भी वकिल वादी  
व वादीगण न्यायालय में अनुपस्थित।  
ऐसे में वाद अदम हाजरी पत्रों  
में खारीज किया जाता है। पत्रावली  
फैसल सुमार होकर अखिल दफ्तर होवे।

  
SDO

उपखण्ड अधिकारी  
सीमलवाडा